सिर्फ चिन्तन ही नहीं, किया भी चाहिए *बजरंगलाल अग्रवाल

मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक पच्चीस वर्ष सक्रिय राजनीति में खर्च किये। राजनीति के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान संभव है, ऐसी मेरी मान्यता थी। सन् सतहत्तर में सत्ता में भूमिका मिली और मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं कर सका। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न दिखा, न हुआ। सन् चौरासी में मैंने अपनी पराजय घोषित कर राजनीति से सन्यास लिया ओर भारत की समस्याओं पर चिन्तन मनन करना शुरू किया। पंद्रह वर्ष तक चिन्तन चला। देश की सभी समस्याओं पर गंभीर विचार मंथन कर भारत की सभी समस्याओं की सूची बनाई गई जो ग्यारह की हुई –**1.** चोरी, डकैती, लूट **2.** बलात्कार **3.** मिलावट, कमतौल **4.**जालसाजी, धोखा **5.** हिंसा, आतंक, भय **6.** भ्रष्टाचार **7.** चरित्र पतन **8.** साम्प्रदायिकता **9.** जातीय कटुता **10.** आर्थिक असमानता और **11.** श्रम शोषण। अनेक समस्याओं को इनसे कम महत्व का माना गया यथा **1.** आबादी में वृद्धि **2.** पर्यावरण प्रदूषण **3.** विदेशी कंपनियों का भारत में प्रवेश **4.** बढ़तो बोमारियॉ तथा **5.**बाल श्रम आदि। कुछ समस्याओं को पूरी तरह असत्य और भ्रम माना गया। इनमें **1.**शिक्षित बेरोजगारी **2.** महंगाइ **3.** दहेज **4.** मुद्रा स्फीति का गरीबों पर दुष्प्रभाव व **5.** शिक्षा का चरित्र पर प्रभाव आदि शामिल हैं।

समस्याओं के वर्गीकरण के साथ–साथ हमने इन समस्याओं के समाधानों पर भी गहन चिन्तन किया। सभी समस्याओं के समाधान के आसान और संभव मार्ग दिखे। कई समस्याएँ तो ऐसी दिखीं जो समस्याओं के समाधान के वर्तमान पयत्नों के कारण ही बढ़ रहीं है। जैसे कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि रोकने के प्रयत्न आर्थिक असमानता बढ़ाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी तरह यह भी पाया गया कि न्यूनतम श्रम मूल्य वृद्धि के शासकीय प्रयत्न श्रम की मांग भी कम करते हैं और मूल्य भी। ग्यारह समस्याओं के पृथक–पृथक और साधारण समाधान हैं, यदि उस आधार पर संवैधानिक ओर कानूनी संशोधन किये जावें। हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि भारत का संविधान पांच मूलभूत प्राथमिकताओं का होना चाहिये– **1.** लोक स्वराज्य **2.**अपराध मुक्ति **3.** आर्थिक असमानता में कमी **4.** श्रम मूल्य वृद्धि और **5.** समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के प्रीएम्बुल में भी संशोधन परिवर्तन कर इन पांच प्राथमिकताओं को इसी क्रम से स्थापित कर देना चाहिये।

नवंबर निन्यान्नब को उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के बाद चार वर्षो तक रामानुजगंज शहर में उक्त संशोधनों के आधार पर प्रयोग किये गये जो सफल रहे। प्रयोगों के बाद पूरे देश में पांच वषा की सीमा म व्यवस्था परिवर्तन को योजना बनी। व्यवस्था परिवर्तन के लिये निष्कर्ष निकला कि शासन और समाज के बीच बढ़ी हुई तथा निरंतर बढ रही दूरी को कम किये बिना ग्यारह में से किसी एक भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। आज तो स्थिति यह हो गई है कि व्यवस्था में परिवार व समाज की भूमिका कम से कम होती जा रही है या योजना पूर्वक ऐसा किया जा रहा है और शासन, विशेषकर राजनेताओं की भूमिका अधिक से अधिक होती जा रही है। राजनेताओं की बढ़ती शक्ति और परिवार या समाज की घटती शक्ति, इन ग्यारह समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करना ही होगा अर्थात् शासन और समाज के बीच अधिकारों की दूरी कम करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा।

इस कार्य के लिये हमने लोक स्वराज्य मंच बनाया, जिसका उद्देश्य है शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप न्यूनतम होने के पक्ष में जनमत जागरण करना किन्तु शासन के अधिकार दायित्व तथा हस्तक्षेप कम हो, व्यवस्था परिवर्तन के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ–साथ समाज में भी जागृति आनी आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि समाज में अनेक ऐसी संस्थाएँ सक्रिय हैं जो एक दूसरे के ठीक विपरीत विचार समाज को दे रही है। ऐसे भिन्न विचारों का उपयोग समाज में विचार मंथन के रूप में तो किया जा सकता है किन्तु ये संगठन या संस्थाएँ अपने विचार ऐसे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जैसे पूरे विचार मंथन क बाद यह उनका अन्तिम निष्कर्ष हो। ये संस्थाएँ भिन्न विचार वाला के बीच बैइकर विचार मंथन से तो दूर भागती हैं किन्तु अपने कुछ समर्थकों बीच अपना पांडित्य दिखाती हैं। हमे इस दिशा में भी कुछ करना होगा अर्थात् समाज में विचार मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। इस निमित्त हमने लोक स्वराज्य मंच के साथ–साथ ज्ञान यज्ञ मंडल को भी पुनः और अधिक सक्रिय करने की योजना बनाई है। अब एक ओर तो ज्ञान यज्ञ मण्डल विचार मंथन की प्रक्रिया को मजबूत करेगा तो दूसरी ओर लोक स्वराज्य मंच राजनेताआ पर अंकुश लगाने का काम करेगा। दोनों कली कार्यप्रणालो तथा संगठन भिन्न–भिन्न होंगे किन्तु दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। लोक स्वराज्य मंच की कार्य प्रणाली राजनैतिक होते हुए भी वह एक अराजनैतिक संगठन होगा। इसका तात्कालिक उद्दश्य राजनैतिक न होकर सिर्फ राजनेताओं के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप कम से कम करान तक सीमित होगा। ज्ञान यज्ञ मण्डल की कायप्रणाली पूरी तरह सामाजिक होगी। यह जगह–जगह पर छोटे–छोटे ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान कर स्वतंत्र विचार मंथन संगोष्ठी आयोजित करने तक स्वयं को सीमित करेगा। इन गोष्ठिों में विभिन्न विषयों पर बिल्कुल स्वतंत्र विचार मंथन होगा। यदि अन्त में किसी विषय पर सर्व सम्मति न भी बने तब भी समाज में तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा ही। इस तरह ज्ञान यज्ञ मण्डल के माध्यम से समाज में शक्ति पैदा होगी और लोक स्वराज्य मंच के माध्यम से राजनैतिक स्वच्छंदता पर अंकुश लगेगा। कुल मिलाकर समाज और शासन के बीच की पूरी कम होगो जो ग्यारह समस्याओं क समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगी।

अब तक लोक स्वराज्य मंच के अध्यक्ष डॉ0 आर्य भूषण जी भारद्वाज तथा सचिव का काम मेरे जिम्मे हैं। अब भविष्य में अक्टूबर में अंबिकापर में नई कार्यकारिणी बन सकेगी। तब तक मैं सचिव का अपना काम अभिशेख अज्ञानी जी को सौंपकर काम कर रहा हूँ। मेरी भूमिका ज्ञान यज्ञ मण्डल तक सक्रियता की तथा लोकस्वराज्य मंच में मुख्य संरक्षक तक पर्याप्त मानता हूँ। विस्तृत निर्णय अक्टूबर में होगा।

हमारी पाक्षिक पत्रिका ज्ञानतत्व पिछले बीस वर्षो स चल रही है। ज्ञानतत्व ने हमें बहुत मदद की है। बोच में कभी कभी कुछ कम अंक भी निकलते रहे है। अब अभिशेख जी के आ जाने से ज्ञानतत्व नियमित निकलना शुरू हुआ है। ज्ञान तत्व का डाक पंजीकरण भी हो गया है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि ज्ञानतत्व के सभो चौबीस अंक आपको मिलें किन्तु इसके साथ साथ आपका भी कुछ दायित्व है। पचास रूपये लेकर नये गाहकों तक पत्रिका पहुँचे, यह तो है ही किन्तु ज्ञानतत्व में मेरे विचार पढ़कर आप अपने वे विचार अवश्य लिखें, जहॉ आप असहमत हों, अथवा आपके प्रश्न से मेर विचार और स्पष्ट हो सकते हों। हम ज्ञान तत्व को दो भागों में बांट रहे हैं। पहल का आधा भाग विचार मंथन के उद्दश्य से मेरे द्वारा लिखने का प्रयास होगा और यह भाग पूरी तरह ज्ञान यज्ञ प्रधान होगा। दूसरा भाग विचार प्रसार केन्द्रित होकर अज्ञानी जी द्वारा लिखने का प्रयास होगा और पूरी तरह लोक स्वराज्य प्रधान होगा। हम ऐसा ही प्रचार करेंगे किन्तु परिस्थिति वश कुछ इधर–उधर भी संभव हैं।

ज्ञान तत्व की ग्राहक संख्या बढ़ाना हमारा उद्दश्य नहीं हैं। हम तो ज्ञान तत्व को विचार मंथन का माध्यम बनाना चाहते हैं। इसलिये हम ज्ञानतत्व में कोई ऐसी बात नहीं लिखना चाहते जो पाठकों को तो रूचिकर लगे किन्तु गंभीर न हो। हम तो चाहते हैं कि हमारे पाठक ज्ञानतत्व का सग्रह करें।

ज्ञानतत्व में लिखी बातें समाज में एक वैचारिक बहस शुरू कर सकें, यही हमारी सफलता है। इस उद्देश्य में अब तक हमें आंशिक ही सफलता मिली हैं क्योंकि ज्ञान तत्व के मुख्य विषयों में कोई क्रम नहीं था। हमने इस पर काफी विचार कर अब और संशोधन किया है। अब ज्ञान तत्व में वैचारिक विषय एक श्रृखंला के रूप में रहेंगे जिसमें ग्यारह समस्याएँ और समाधान, भ्रम पूर्ण समस्याएँ, प्रस्तावित संविधान के मूल तत्व आदि को मिलाकर एक श्रृंखला बनाई जा रही है। ऐसा एक लेख प्रत्येक अंक में रहेगा तथा उस अंक के बाद के अंकों में उस लेख पर आये प्रश्नों के उत्तर द्वारा विचार मंथन का प्रयास होगा। हमारा यह पूरा प्रयास हागा कि ज्ञान तत्व विचार मंथन के उद्देश्य से विश्व की प्रमुख पत्रिकाओं में स्थान बना सके तथा इसके पाठक इसके प्रत्येक अंक को सुरक्षित रखें।

इस तरह कार्य विभाजन तथा सक्रियता हमारी योजना में बहुत गति प्रदान करेंगे ऐसी संभावना है। आप भी अपने विचार और सुझाव लिखें।

समीक्षा अंक पचहत्तर की

पंचायती राज, ग्राम स्वराज्य और लोक स्वराज्य *<u>बजरंगलाल अग्रवाल</u>

ज्ञान तत्व अंक पचहत्तर में पंचायती राज, गाम स्वराज्य और लोक स्वराज्य का अन्तर बताते हुए एक लेख लिखा गया था। उक्त लेख की आमतौर पर पाठकों ने बहुत प्रशंसा की। कलकत्ता के श्री आत्माराम जी सरावगी ने उक्त लेख की एक अन्य प्रति मंगाई। कई पाठकों ने यह माना कि यह लेख अनेक भ्रमों को दूर करता है। कई पाठकों ने कुछ प्रश्न भी किये जो इस प्रकार हैं–

1. हम शासन से अपने अधिकारों में कटौती कर ग्राम और जिले को अधिकार देने की मांग करने की अपेक्षा क्यों नहीं अपनी ग्राम सभा बनाकर अपनी व्यवस्था स्वयं करने की शुरूआत कर दें।

2. शासन ने ग्राम सभा को अपनी सीमा के अन्तर्गत कर लगाने तक का अधिकार दिया है। क्या यह विधायी अधिकार नहीं है? विधायी अधिकार और कार्यपालिका अधिकार में क्या अन्तर है?

3. गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के समान ही आपने भी सर्वसम्मति की बात कहीं है। यह सर्वसम्मति व्यावहारिक नहीं। ऐसे उच्च आदर्श वादी सिद्धान्त बनाना कितना उचित है जो संभव ही न हो?

4. यदि गॉव के लोगों ने बहुमत से तय किया कि गॉव में शराब बिक सकती है तो क्या ऐसा अधिकार गॉव को दिया जाना चाहिये? आजकल अनेक गॉव की पंचायतें जादू टोना के नाम पर या प्रेम विवाहो के मामलों में गम्भोर दण्ड देने लगी हैं। यदि ऐसी ग्राम सभाओं को और अधिकार मिले तो उनका दुरूपयोग भी संभव है।

5. वर्तमान पंचायत व्यवस्था को आप भी एक सकारात्मक कदम मानते हैं।
यदि इसी तरह क्रम से हम और अधिकार लेते रहें तो किसी दिन लोक स्वराज्य आ हो जायेगा। फिर हमें आंदोलन क्यों करना चाहिये?

सभी प्रश्नो पर गंभीर विचार करना होगा। बचपन में मेरे परिवार में एक व्यक्ति झाड़ फूँक करता था। मैं अपने परिवार को बहुत समझाता था किन्तु सब निष्फल हुआ। मैंने एक दिन अपने परिवार वालो को सहमत कर उस ओझा का धक्के देकर निकाल दिया और भविष्य के लिये चेतावनी दी। तब से आज तक मेरा घर झाड फूँक से पूर्णतः मुक्त हो गया। आपका मत हैं कि हम उसे आने दें और अपने घर वालो को रोक कर रखें। मैं दोनों दिशाओं में सक्रियता चाहता हूँ। एक टी.बी. के रोगी को प्रातः भ्रमण करना चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं कि सिर्फ प्रातः भमण से ही रोगी ठीक हो जायेगा। उसकी दवा भी आवश्यक है किन्तु यदि हमें यह पता चले कि डाक्टर की रूचि मेरी बीमारी के प्रति न होकर स्वार्थ प्रधान है तथा डॉक्टर की धूर्तता के कारण बीमारी बढ़ रही है और सभी डॉक्टरों को एक ही हाल है तो हमें डाक्टरो इलाज बन्द भी करना पड़ सकता है। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज राजनेताओं के चरित्र पतन के कारण अनेक समस्याएँ बढ़ रही हैं। इनसे मुक्ति पाये बिना सिर्फ हम अपना सुधार करें, यह बुद्धिमानी नहीं होगी। स्वार्थी और अपराधी लोग समस्याएँ घटने नहीं देंगे बल्कि बढ़ाते रहेंगे, जैसा अभी हो रहा है। इसके साथ ही हमें अपनी हैसियत पर भी विचार करना चाहिये। हम मालिक हैं और राजनेता मैनेजर। हम उनके अधिकार और हस्तक्षेप कम करने से इतना घबराते क्यों हैं? जो लोग हमे स्व सुधार की सीख दे रहे हैं और शासन के अधिकार कम करने को अनावश्यक मान रहे हैं, वे नासमझ हैं। वे दया के पात्र हैं। ये इतने नासमझ हैं कि समाज में धूम्रपान और जुआ खेलने वाले लोगों पर तो शासन के अंकुश की वकालत करते हैं और शासन पर अंकुश लगाने की बात आती है तो कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं।

दूसरा प्रश्न विधायी और कार्यपालिक अधिकारों की व्याख्या का है। यह भ्रम चार शब्दों के अर्थ समझने से दूर हो सकता है– **1.**बाई लॉज **2.**नियम **3.** कानून **4.**संविधान। संविधान की धाराएँ समाज द्वारा बनाई जाती हैं। कानून विधायिका बनाती है जो संविधान की किसी धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते। नियम सरकार बनाती है और बाई लॉज सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त स्वायत्त संस्थाएँ शासकीय कानूनों के अन्तर्गत ही बनाती हैं। किसी भी ग्राम सभा को चयन हेतु कोई टीम बनानी आवश्यक ही हो तो उस टीम की योग्यता और उस टीम के बनाने वालो को योग्यता का मापदण्ड बनाना होगा। योग्यता के चयन की यह प्रक्रिया जितनी उपर जायेगी, उतना ही भ्रष्टाचार अधिक बढ़ेगा। अतः गॉव का शिक्षक ग्राम सभा चुन ले पद्धति, यह अन्य सभी प्रक्रियाओं से कम भ्रष्ट होगी। चूँकि शिक्षक की स्कूली योग्यता तो निर्धारित है ही, अतः यदि ऐसे याग्य लोगों में से किसी एक का चयन करना है तो कोई विशेष समस्या नहीं। आपने दूसरे उदाहरण में पंच द्वारा भ्रष्टाचार की उचित सजा न देने की बात लिखी है। यदि यह भूसा गांव के लिये है, गांव के पैसे से है और भ्रष्टाचार हुआ तो गांव वाले इतनी कम सजा से छोड़ने वाले नहीं हैं। चूँकि यह धन उपर से आया और सजा उपर वाला देगा इसीलिये, यह अन्तर हो रहा है। मान लीजिये कि गॉव का भूसा सप्लाई का काम गांव के पंच को न देकर पूरे भारत का ठेका पंच के समान ही चरित्र वाले किसी बड़े नेता को दे दिया गया तो क्या भूसा पहुँच जायेगा? क्या भूसा न पहुचाने वाले को अधिक सजा होगी? क्या लालू प्रसाद एण्ड कम्पनी द्वारा चारा सप्लाई के परिणाम पंच से अच्छे थे? मेरे विचार में पचायत प्रणाली आदर्श प्रणाली नहों है किन्तु केन्द्रित पणाली से कुछ अच्छी अवश्य है। आदर्श प्रणाली तो वह होगी, जिसमें चारा सप्लाई का धन गॉव के लोग इकट्ठा करेंगे, वे लोग किसी को चारा मंगान का ठेका देंगे और भ्रष्टाचार करन वाले को वे लोग दण्डित करेंगे। जब तक पूर्ण विकेन्द्रीयकरण नहीं होगा, तब तक पूर्ण समाधान नहीं हो सकता हैं।

प्रश्नोत्तर तथा प्रतिकियाएँ

1श्री अखिलेश आर्येन्दु, नांगलोई, दिल्ली ।

पश्न— आप सुझाव मांगते हैं किन्तु उन सुझावों को मानते नहीं। हमारे सुझाव तो आपके द्वारा रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं। फिर हम सुझाव क्यों दें?

उत्तर— आज तक दुनियॉ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनो जिसमें सुझाव माने ही जाते हो। न सुझाव मानने के बंधन से मांगे जाते हैं, न ही सुझाव देने वाले के मन मे कभी ऐसी भावना होनी चाहिये। सुझाव तो विचार मंथन के लिये होते हैं और यदि विचार मथन के बाद कोई सुझाव उपयुक्त हो तो उस का कार्यान्वयन भी होता है अतः सुझाव और आदेश क अन्तर को समझने की आवश्यकता है। यदि आपके सुझावों में से कोई सुझाव नहीं स्वीकार हुआ तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह कूड़ेदान में चला गया। विश्वास करिये कि सूझाव कूड़दान में फेंकने के लिये नहीं मंगाये जाते बल्कि सुझावों को गंभीर विचार विमर्श के बाद या तो स्वीकार या अस्वीकार या विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है।

आप लोक स्वराज्य मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपके सझावों का कुछ विशेष महत्व हैं। आपके सुझाव गंभीर होते भी हैं और पद के आधार पर भी हम उसकी गरिमा समझते हैं। अतः आपका यदि कोई सुझाव अस्वीकार हुआ होगा तो उस पर बहुत गंभीर विचार विमर्श हुआ होगा। यदि आप किसी सुझाव विशेष का विस्तृत विवरण लिखें तो हम आपके उस सुझाव पर फिर से खुली चर्चा कर सकते हैं तब शायद हमें उस सुझाव को अस्वीकार करने की भूल का पता चले।

2 श्री बी.डी. चौहान, नौखा बाजार, अजमेर (राजस्थान)

पश्न 2 आपने संविधान संशोधन हेतु अभियान को गति देने के लिये अखिल भारतीय आयोजन रखे पर कुछ हुआ नहीं। इसके लिए तप, त्याग व बलिदान चाहिए क्योंकि लोकतंत्र एवं शिक्षण दूषित है, जिनका ढ़ॉचा बदलना होगा। घूस बंद कर आरक्षण के भूत को बिदा देना होगा। नेता, अधिकारी ईमानदार होना चाहिए। इस बारे में आप आपराधिक दण्डों के संबंध में सर्वोच्च इकाई की व्यवस्था अनुसार अधिकार देने चाहिये। यदि कोई ग्राम सभा या पंचायत अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो उसे सर्वोच्च इकाई द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुसार दण्डित करना चाहिये।

मैं इस सुझाव से पूरी तरह असहमत हूँ कि वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था को शासन की विकेन्द्रीयकरण नीति का एक अंश मानकर हम अगले कदम की प्रतीक्षा करें। हम अपने अधिकार वापस मांग रहे हैं न कि शासन के अधिकार। न्याय और सुरक्षा सर्वोच्च इकाई के दायित्व हैं। शासन न्याय और सुरक्षा के मामलों में हमे यदि कोई अधिकार न भी दे तो हमें संतोष करना होगा किन्तु पारिवारिक या गॉव संबंधी मामलों में शासन को एक दिन भी अधिकार नहीं कि वह हमारी इच्छा के विरूद्ध इन्हें अपने पास रख सकें। हमे भोजन के लिये सब्जी तो दे दी गई मगर अब और चोजो के लिये सात दिन प्रतीक्षा करिये। तब तक सब्जी खराब हो गई। अब हमे और वस्तुऍ इसलिये नहीं मिलेगी क्योंकि हम सब्जी सुरक्षित नहीं रख सके। अब यह चालाकी नहीं चलने दी जाएगी। हम शासन के अधिकार दायित्व और हस्तक्षेप कम करने के लिये उनकी दया पर निर्भर नही हैं। हम ऐसा जन जागरण करेगे कि अधिकतम हिस्सा शासन से हटकर नीचे आ जावे। यह काय टुकडों में होना संभव नहीं। यह ता एक साथ ही संभव है।

3 श्री एम.एस. सिंगला, बैंक कॉलानी, नाका मदार, अजमेर, राजस्थान

प्रश्न— ज्ञान तत्व अंक पचहत्तर में पंचायत प्रणाली पर आपने बहुत विस्तृत, सतुलित तथा ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत किये हैं किन्तु निम्न मुद्दों पर मेरे विचार भिन्न हैं। आपने

> पृष्ठ सात पर लिखा है कि ''पंचायती राज व्यवस्था भ्रष्टाचार घटा सकती है, बढ़ा नहीं सकती।
>
> पृष्ठ ग्यारह पर अंकित है— ''पंचायती राज प्रणाली से पारदर्शिता भी होगी और भ्रष्टाचार भी घटेगा।''

मैं इन दोनो निष्कर्षो से असहमत हूँ। राजस्थान में शिक्षक चयन प्रक्रिया में पचों की भूमिका रखी जा रही है। वे उक्त चयन में चालीस अंक दे सकेंगे। अब अनपढ़ लोग किस तरह शिक्षक चयन करगे, यह विचारणीय है। इसी तरह राजस्थान के एक पंच ने पशुचारा आयात के नाम से फर्जी बिल बनवाकर फर्जी ट्रक भाड़ा भी शासन से वसूल कर लिया। मामला पूरी तरह प्रमाणित होने के बाद भी उस पंच को अगले छः वषा तक चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने की ही दण्ड मिला। यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। राजनेता पंचायत प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार को इतना व्यापक कर देना चाहते हैं कि उनका भ्रष्टाचार स्वयं ही ओझल हो जावे। आपका क्या विचार है?

उत्तर— किसी बात को तय करन के लिये कुछ नियमित सिद्धान्त है। जिस तरह दो और दो चार ही होता है, यह बिल्कुल निश्चित है, उसी तरह भ्रष्टाचार के विषय में भी एक निश्चित सिद्धान्त बना हुआ है कि ''किसी कार्य के परिणाम से प्रभावित व्यक्ति और कता के बीच दूरी जितनी अधिक होगी, उक्त कार्य की गुणवत्ता उसी अनुपात में घटती जायेगी।'' इस सिद्धान्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि पंचायती राज प्रणाली मे भ्रष्टाचार बढ़ ही नहीं सकता है।

आपने अपने कथन के पक्ष में दो उदाहरण दिये हैं। दोनों पर हम विचार करें –

शिक्षक चयन प्रक्रिया में पचों की भूमिका अयोग्यता की है, यह सच है। यदि ऐसे अयोग्य लोग अपने गॉव का शिक्षक नहीं चुन सकते तो ऐसे अयोग्य लोग सांसद या मंत्री बनकर आई. ए. एस. का चयन कर सकेंगे, यह धारणा तो और भी त्रुटिपूर्ण है। यदि गॉव के लिये शिक्षक कानून बनाने की कोई अधिकार नहीं है। ग्राम सभा, विधान सभा द्वारा पारित कानूनों के अन्तर्गत बने शासकीय नियमों के अन्तर्गत बाईलॉज बना सकती है। शासन ने जो कर जिन शतां के आधार पर लागू करने की छूट ग्राम सभा को प्रदान की है, ग्रामसभाएँ उन नियमों या कानूनो में कोई हेरफेर नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ शासन ने नगरपालिकाओं को सम्पत्ति कर की जा दर दी है, उस दर से कम नगरपालिका नहीं कर सकती। दूसरी ओर आयात निर्यात कर की अधिकतम राशि की सीमा निश्चित है। किसी कर की न्यूनतम सीमा तथा किसी दूसरे कर की अधिकतम सीमा शासन निश्चित करे तथा उक्त कर से मुक्त होने वाले पत्रों की सूची भी शासन देवे तो इसे कार्य पालिक अधिकार ही कहा जा सकता है, विधायी नहीं।

गांधी विनोबा और जयप्रकाश ने सर्व सम्मति की बात कही है जो एक उच्च किन्तु अव्यावहारिक सिद्धान्त है किन्तु बहुमत और सर्वसम्मति को अधिक समझने की आवश्यकता है। निणय दो प्रकार के होते है– **1.** वे जो अन्य इकाईयों पर प्रभाव डालते हैं और **2.** वे जो सिर्फ अपनी इकाई पर प्रभाव डालते हैं। कार्य कई तरह के होते हैं। कुछ कार्य व्यक्तिगत स्तर के होते हैं और कुछ पारिवारिक। कुछ गॉव संबंधी निर्णय होते हैं और कुछ राष्ट्र से भी उपर उठकर सम्पूर्ण विश्व व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यदि ग्राम सभा किसी व्यक्तिगत या पारिवारिक मामले में विचार कर कोई निष्कर्ष निकालती है तो वह निर्णय पूरी तरह सर्व सम्मत होना ही चाहिये अर्थात् उस परिवार की भी सहमति आवश्यक है किन्तु यदि कोई बात गॉव की व्यवस्था से संबंधित हैं तो निर्णय में सर्व सम्मति का प्रयास मात्र किया जा सकता है, अनिवार्य नहीं है। यदि सर्व सम्मति का प्रयास मात्र किया जा सकता है, अनिवार्य नहीं है। यदि सर्व सम्मति न बने तो अन्त में बहुमत से निर्णय करना उचित है। गॉव में शराब बिक सकती है या नहीं यह निर्णय बहुमत से किया जा सकता है किन्तु शराब पीना है या नहीं और यदि शराब पर रोक के बाद भी कोई शराब पीता है तो उसके दण्ड विधान बहुमत से तय नहीं किये जा सकते। उसके लिये सर्व सम्मति या सर्व सम्मति से तय प्रतिशत का बहुमत अनिवार्य है। गांधी विनाबा जयप्रकाश जी ने उस समय की परिस्थितियों क अनुसार निर्णय किये थे। यदि अब उक्त निर्णयों को अधिक स्पष्ट करना आवश्यक हो तो हमे करना चाहिये।

किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों मे कोई कटौती या आक्रमण कोई भी अन्य इकाई तभी कर सकती है, जब या तो उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो अथवा सर्वोच्च इकाई ने व्यवस्था के अन्तर्गत उसे अधिकार दिया हो। किसी भी अन्य इकाई को किसी अन्य स्थिति में न निणय का अधिकार है न कार्यान्वयन का। चाहे कोई डायन का मामला हो या प्रेम प्रसंग का, ग्राम सभा को किसी भी स्थिति में कोई ऐसा अधिकार नहीं कि वह किसी व्यक्ति या परिवार को ऐसा दण्ड दे जो उस व्यक्ति क मूल अधिकारों का हनन करता है। ग्राम सभा उस व्यक्ति को सिर्फ सामाजिक दण्ड ही दे सकती है अर्थात् उसका सामाजिक आर्थिक बहिष्कार कर सकती है। किसी व्यक्ति को अछूत घोषित करना ग्राम सभा का अधिकार है। यदि यह अधिकार समाज में रूढ़ होकर विकृति पैदा करता है तो उसके लिये समाज म जनजागरण करने की आवश्यकता है। जब से शासन ने समाज या ग्राम सभा का यह बहिष्कार का अधिकार भी छीन लिया तब से बहिष्कार और दण्ड का अन्तर हो समाप्त हो गया और उसी का दुष्परिणाम है कि गॉव के लोग भीड़ के रूप में इकट्ठे होकर ऐसे निर्णय कर देते हैं जो उनका अधिकार नहीं। ग्राम पंचायते या ग्राम सभाएँ अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर देती है इसलिये उनके सारे अधिकार छीन लें, यह कितना उचित है? मेरे विचार में ग्राम सभाओं को सामाजिक दण्ड के सारे अधिकार वापस करना चाहिये तथा क्या कर सकते है? मै साथ दूगा। आप अकेले थक जायेगे।

उत्तर– हम लोगो ने पिछले पंद्रह वर्षो म नई व्यवस्था का भारतीय संविधान तैयार किया तथा चार वर्षो तक रामानुजगंज शहर में प्रयोग किया। अब मई माह से त्रिसूत्रोय जनमत जागरण की रूपरेखा बनी है, जिस पर अक्टूबर से काम शुरू होगा। अब तक हमारा अभियान बिल्कुल प्रारभिक चरण म ह। अतः कुछ नही हुआ, यह गलत है। जिन लोगो ने पचपन वषा तक समाज बदलने हेतु प्रयास किये, वे उत्तर द कि उनके प्रयासो का परिणाम इतना विपरीत
क्यो हुआ मेरी अब भी मान्यता है कि राजनेताओ पर अंकुश लगने से घूस, जातिवाद व बेइमानी आदि का समाधान होगा। इस कार्य के लिये तप, त्याग तथा बलिदान की आवश्यकता हो गई किन्तु यदि बिना राजनीति की उच्चश्रृंखलता पर नियंत्रण किये तप त्याग व बलिदान का प्रयास किया गया तो न केवल यह तप त्याग एवं बिलदान व्यर्थ जायेगा बल्कि इससे राजनैतिक उच्चश्रृंखलता को और निरंकुश होने में मदद ही मिलेगी। इस संबंध म मैं वह सब कुछ करने के लिये तैयार हूँ जैसा आप सब अक्टूबर तीन से पांच तक अंबिकापर में बैठकर तय करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तप त्याग और बलिदान में मैं पीछे नहीं रहूँगा किन्तु हम आप बैठकर कोई योजना तो बनावें। अक्टूबर में आप अंबिकापुर आइये। वहॉ हम आप सब मिलकर कोई योजना घोषित करने तथा कार्य प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे।

3. श्री पंचम भाई हस्तेड़िया, हस्तेड़ा जयपुर (राजस्थान)

प्रश्न– लोक स्वराज्य यात्रा पहले व दूसरे चरणों के बाद स्थगित रही। क्या स्थानीय सहयोग के अभाव में ऐसा हुआ?

उत्तर– लोक स्वराज्य यात्रा चार चरणों में की जानी थी। पहला और दूसरा चरण ठीक से पूरा हुआ। उपस्थिति सामान्य से कम और प्रभाव सामान्य से बहुत अधिक रहा। जहा अपने पूर्व परिचित आयोजक थे, वहॉ बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए और जो पूरी तरह अपरिचित आयोजक थे, उन्हें कार्यक्रम के बाद ही कार्यक्रम की उपयोगिता तथा महत्व का आभास हुआ किन्तु जब हम दिल्ली से निकलकर हरियाणा क्षेत्र में पहुँचे तो जो हमारी द्वितीय चरण की यात्रा का अन्तिम चरण था वहॉ हमें तीन कठिनाइयॉ हुई –

लोक सभा चुनावों का बिल्कुल निकट होना।

मुख्य संयोजक अनाम जी का पारिवारिक समस्याओं में उलझने से प्रत्यक्ष सम्पर्क का अभाव।

लू चलने का प्रारंभ।

मुझे स्वयं ऐसा अनुभव नहीं था कि पूरी दोपहर गर्मी क दिनों में इतनी कठिनाई होगी। यद्यपि लोगों ने उक्त अवधि में उत्तरांचल हिमांचल भी जोड़ा था किन्तु हरियाणा पंजाब की मई माह की गर्मा से मैं डर गया और तब तक कोई विशेष तैयारी भी नहीं हुई थी। अतः मैंने तीसरे चरण को छोड़ देने का निर्णय किया। चुनाव और गर्मी समाप्त होने के बाद हमारी यात्रा का चौथा चरण सत्रह जून से शुरू हुआ। यात्रा का आपचारिक यात्रा पांच जुलाई तक चली। अब आगे की योजना अक्टूबर तीन चार पांच को अंबिकापुर में बठकर बनेगी। आप भी अंबिकापुर आईये।

प्रश्न डॉ0 रामसेवक शुक्ल, तुलाराम बाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

पश्न— देश की जनता को खेमों में बॉटकर मुफ्तखोर व हरामखोर बनाकर किसी भी विचार कांति के अयोग्य बना दिया गया है। वह ठगो, जालसाजी, घोटालेबाजों, लुटेरों व गुंडों को संसद भेज रही है। वास्तव में अब उस कांति की जरूरत है जो नेताजो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सुखदेव व चंद्रशेखर आजाद ने आजादो के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ शुरू की थी। आपका क्या विचार है?

5.प्रश्न श्री रवीन्द्र सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल, वाराणसी — 221001

प्रश्न— लोक स्वराज्य की दिशा में आपकी आगे क्या रणनीति है? अगले चुनाव में यदि दखल देना हैं तो उसके लिए अभी से प्रयासरत् होना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं?

उत्तर— लोक स्वराज्य की दिशा में हमारी आगे की रणनीति क्या हों, यह मै बताने की स्थिति में नहीं हूॅ। अब हम कई लाग मिलकर योजना बनाएंगे। मैं अब अकेला नहीं हूॅ। माननीय बग जी हमारे साथ योजना बनाएंगे। और भी बड़ी संख्या में साथी जुड़े हैं। आगे चुनाव लड़ना ही होगा या वर्तमान राजनैतिक दल कुछ बदलाव लायेंगे यह निर्णय करने क लिये हमें कुछ और वर्ष प्रतीक्षा करनी चाहिये। आगे की रणनीति अक्टूबर तीन चार पांच को अंबिकापुर में तय कर घोषित होगी।

6. श्री आत्माराम सरावगी, हिंदुस्तान पार्क, कलकत्ता— 7000029

प्रश्न— आपने ज्ञान तत्व के जिन अंकों में लोक स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य व ग्रामसभा आदि को अलग—अलग परिभाषित एवं उनमें अंतर किया था, वे मुझसे अन्यत्र रखे गये हैं। कृपया उनकी विवेचना कीजिएगा व उक्त अंक मुझे भेजियेगा। मैंने आपसे आपके दूरभाष क्रमांक 273227 पर संपर्क करने का काफी प्रयास किया मगर लग नहीं सका।

उत्तर— मेरा दूरभाष क्रमांक अब 07779—276227 हो गया है। दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए इस परिवर्तन से आपको हुई तकलीफ के लिए मुझे खेद है। मैं आपके द्वारा वाछित ज्ञान तत्व पुनः भेज रहा हूॅ। आपसे अपेक्षा है कि आप पढ़ने के बाद असहमत मुद्दों पर मुझे अवश्य लिखियेगा। जिससे या तो मैं स्वयं के विचारों में संशोधन करूॅ। या विचार मंथन को आगे बढ़ाते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करूॅ।

7. श्री संजय सिंह, मंडी (नालंदा) बिहार।

प्रश्न— आपन सरगुजा में जो प्रयोग किए हैं, देखने का मन है। आप कब बुलायेंगे?

उत्तर—हमने तीन से पांच अक्टूबर (रविवार—मंगलवार) तक अंबिकापुर (सरगुजा) छत्तीसगढ में लोक स्वराज्य समागम रखा है। वहॉ से इच्छुकों को हम अपने साधन से छः अक्टूबर बुधवार को स्वराज्य नगर (रामानुजगंज) ले जायेंगे और स्टेशन पर बिदा देंगे। वे लोक स्वराज्य अभियान की भावी दिशा—दशा तय करेंगे। उनके भोजन व आवास की व्यवस्था निःशुल्क की गइ है मगर मार्ग व्यय स्वयं का होगा। अतएव आप अन्य विचारधर्मी साथियों के साथ सादर आमंत्रित हैं।

प्रश्न नक्सली—सत्ता और सर्वोदयो चाहते हैं व्यवस्था सर्वोदय बैठक में बजरंगलाल अग्रवाल

पाक्षिक पत्रिका ज्ञान तत्व के संपादक व लोक स्वराज्य मंच के संस्थापक श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने कहा कि यदि हम लोगों को अहिंसक तरीके से न्याय नहीं दिला सक तो हिसा को कदापि नहीं रोक पायेंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए नक्सलियों के प्रति जन समर्थन उभर रहा है मगर नक्सलवादी सत्ता परिवर्तन के जरिये अपनी मंशा पूर्ण करना चाहते हैं, जबकि सर्वोदय का ध्येय अहिंसक तरीका से आमूलचूल व्यवस्था बदलाव है।

वे छत्तीसगढ़ राज्य सर्वोदय मंडल कार्यकारिणी को बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंडल में प्रांत अध्यक्ष श्री हर प्रसाद अग्रवाल के महामाई पारा, रायपुर स्थित आवास पर संपन्न इस बैठक में सर्वश्री सरयूकांत झा (रायपुर), झूमरलाल टावरी व ठाकुर गौतम सिंह, (भिलाई—दुर्ग), रोशनलाल अग्रवाल, जलकुमार न्नसंद, गिरीश पंकज, रघुनाथ प्रसाद सोनी, सोमनाथ वर्मा, अश्विनी तिवारी, अनिल अग्रवाल एवं उमाकांत दुबे (सभी रायपुर), प्रिंस अभिशेख अज्ञानी (भोपाल) व्यवस्था को बदलने के लिये संविधान में कुछ बड़े संशोधन करने होंगे। यदि हम जनमत को समझाने में सफल हुए ता परिवर्तन का मार्ग अत्यन्त सुगम है।

फिर भी मैं मानता हूॅ कि यदि भारत में अहिंसक क्रान्ति को येन केन प्रकारेण रोकने की चेष्टा हुई तो की अहिंसक कांति ही आग की तरह ल सकती है अथवा देश में गांधी का मार्ग छोड़कर सुभाष चंद्र बोस और भगतसिंह की राह पर चलने वालो की संख्या बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति मे लोगा के धैर्य का बांध टूट सकता है। मेरी प्रार्थना है कि हमें ऐसा दिन न देखना पड़े आर अहिंसक तरीके से वर्तमान व्यवसायी बदल सकें।

8. श्री अमीरचंद गुप्ता, अध्यक्ष, व्यापार संघ, रामानुजगंज (सरगुजा)

पश्न— व्यवस्था परिवर्तन में जुटे तीसरे मोच और आपके लोक स्वराज्य मंचोय तृतीय मोर्चा में क्या अंतर है? आप भारत की राजनीति में तत्काल सुधार हेतु कौन सा कदम ठीक मानते हैं?

उत्तर— दुनियॉ की राजनीति में अमेरिका और रूस के अतिरिक्त भारत के नेतृत्व में एक तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आया था जो तटस्थ न होकर कुछ रूस की ओर झुका हुआ था। भारतीय राजनीति में साम्यवादी व कांग्रेस एक गुट ह और संघ परिवार भाजपा जार्ज फर्नान्डीज दूसरा गुट। इनके अतिरिक्त जो दल हैं, वे इन दोनों से अलग होने से तीसरा मोर्चा कहे जा सकते हैं। इस मोर्चे में आपस में कोई तालमेल नहीं है किन्तु इन सबका दोनों गुटों से अलग अस्तित्व तो है ही।

हम जिस तीसरे मोर्चे का प्रस्ताव कर रहे हैं, वह वर्तमान तीसरे मोर्चे से पूरी तरह भिन्न होगा। **1**. हमारे मोर्चे में सर्वोदय, आर्य समाज गायत्री परिवार आदि ऐसी संस्थाएँ होगी जो व्यक्ति केन्द्रित नहीं है जबकि उक्त तीसरे मोर्चे में मुलायम सिंह, जयललिता, मायावती, लालू प्रसाद आदि व्यक्तियों के गिरोह रूपी दल शामिल हैं। **2.** हमारा मोर्चा पूरी तरह धर्म निरपेक्ष हैं, जबकि यह मोर्चा समय समय पर अपनी साम्प्रदायिक निष्ठा बदलता रहता है। **3.** हमारा मोर्चा पूरी तरह अहिंसक हैं। यहॉ तक कि हम हड़ताल और चक्का जाम जैसे अहिंसक कार्यो को भी हिंसक मानते हैं, जबकि यह मोर्चा घेराव तक को हिंसक नहीं मानता।

4. हम पूरी तरह वर्ग निमाण और वर्ग विद्वेष के विरूद्ध हैं। हम केवल प्रवृत्ति के आधार पर वर्ग निर्माण के पक्षधर हैं, जबकि वे लोग वर्ग निमाण और वर्ग संघर्ष को दिन रात हवा देते हैं। प्रवृत्ति का तो वे कोई महत्व देते ही नही। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े अपराधी मोर्चे के शीर्ष पदों पर बैठे हैं। चरित्र नाम की तो कोई चीज है ही नहीं।

5. हम पूरी तरह अकेन्द्रित व्यवस्था का संविधान चाहते हैं और वे अधिक से अधिक शक्ति स्वयं या अपने गुट के पास केन्द्रित करना चाहते हैं।

इस तरह हमारे तीसरे मोर्चे का प्रस्ताव वर्तमान तीसरे मोर्चे से पूरी तरह विपरीत है। साम्यवाद और संघ परिवार से तो हम नीतिगत मामलों में दूर हटकर तीसरे मोर्चे की आवश्यकता महस्स कर रहे हैं किन्तु वर्तमान अन्य दलों की नीतियॉ तो कुछ हैं नही और चरित्र आप सब जानते ही हैं। इसलिये इन दलों से हमें और भी अधिक दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता होगी।

भारत के वर्तमान राजनैतिक पतन में तात्कालिक सुधार का सिर्फ एक ही मार्ग है कि कम्युनिष्ट विहीन कांग्रेस का सोनिया मनमोहन गुट कांग्रेस को लेकर और संघ परिवार विहीन भाजपा का अटल आडवाणी गुट भाजपा को लेकर एक संयुक्त गुट बना लें और बाकी सब संकीर्ण सिद्धांत वाले या चरित्रहीन व्यक्ति आधारित दलों से मुक्ति पा लें तभो भारत में कुछ सुधार संभव है।

उत्तर– भारत के राजनैतिक दल दो खेमों में बंटकर निरंतर ऐसा नाटक करते हैं कि देश क नागरिक उन्हें समझ ही नहीं पाते। ये राजनैतिक दल समाज को (धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, आथिक स्थिति और उत्पादक उपभोक्ता) आठ वर्गो में बांटकर ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं कि लोग उनकी इच्छानुसार वर्गो में बंटकर ध्रुवीकृत हो जाते हैं। गुजरात चुनावों के समय दोनों राजनैतिक ध्रुव, धर्म का खेल खुलकर खेलें। वामपंथियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर मुस्लिम तुष्टीकरण का स्वांग रचाया और दक्षिण पंथियों ने समाजवादियों क साथ मिलकर हिन्दू तुष्टिकरण का। हिन्दू तुष्टिकारण भारी पड़ा। लोक सभा चुनाव में वामपंथी कांग्रेस गठजोड़ न गरीब हितैषी का स्वांग रचा और दक्षिण पंथ व समाजवादियों के गठजोड़ ने देश को सम्पन्नता का अहसास कराया। वामपंथ भारी पड़ा। अब हरियाणा पंजाब के चुनावों को देखकर कांग्रेस कम्युनिष्ट गठजोड़ ने देश को सम्पन्नता का अहसास कराया। वामपंथ भारी पड़ा। अब हरियाणा पंजाब के चुनावों को देखकर कांग्रेस कम्युनिष्ट गठजोड़ ने क्षेत्रीयता का दांव खेला है। अब सभी राजनैतिक दल क्षत्रीयता की भाषा बोलने लगे हैं। प्रदेश के सभी नागरिकों को धर्म जाति गरीब अमीर या भाजपा कांग्रेस भूलकर पंजाब हरियाणा राजस्थान के रूप में ध्रुर्वीकृत किया जायेगा। हम इन नाटककारों के चक्कर में पड़कर पेण्डुलम सरीखें हिलते डुलते रहेगे और इस तरह हम इन राजनेताओं के इतने मुखापक्षी बन गये हैं कि हमारी स्वतंत्र सोच अथवा स्वतंत्रता से कार्यक्षमता लगभग शून्य हो गई है। इन राजनैतिक दलों के दलाल घूम घूम कर हमारी भावनाओं को उभारते रहते हैं और हम अपनी भावनाओ में उनके अनुसार बहते रहते हैं। मनमोहन सिंह योग्यता ओर परिस्थिति क आधार पर प्रधानमंत्री बने हैं, सिख होने के आधार पर नहीं किन्तु एक सिख के प्रधानमंत्री बनते ही सिखों में इतना उत्साह आना देश की सोच को उजागर करता है। न सोनिया और मनमोहन सिंह में इतना दम है कि लाडले अमरन्द्र पर अनुशासन का चाबुक लगायें और न भाजपा में। विदित हो कि पंजाब, भाजपा, अमरेन्द्र की क्षेत्रीयता का समर्थन कर रही है।

खैर, आपने एक क्रान्ति की आवश्यकता बताई है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ किन्तु अपने सभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह व चन्द्रशेखर आजाद जैसी क्रान्ति की आवश्यकता बताई। मैं इससे सहमत नहीं। मैंने अपनी पुस्तक में बल प्रयोग के लिये तीन अनिवार्य परिस्थितियों का उल्लेख किया है **1**. जब हमारे मूल अधिकारों पर खतरा हो **2.** जब न्याय प्राप्ति का कोइ अन्य मार्ग उपलब्ध न हो **3**. दोनों मे से काई भी पक्ष भावना प्रधान न हो। यदि ये तीनों परिस्थितिया एक साथ हों तो हिंसक क्रांति के विषय में भी सोचा जा सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत के मूल अधिकार निलंबित थे और भारत गुलाम था। स्वतंत्रता प्राप्ति का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं था तथा कम से कम एक पक्ष तो विचार प्रधान था ही। ऐसी स्थिति में यदि कुछ लागों ने हिंसक क्रांति का मार्ग भी चुना तो उसे ठीक माना जा सकता है किन्तु आज तो स्थिति वैसी नहीं है। इस सड़ी गली व्यवस्था को संवैधानिक तरीके से बदला जा सकता है। साथ ही दोनों ही पक्षों में बड़ी मात्रा में भावना प्रधान लोग हैं। ऐसी स्थिति में हिंसक काति की आवश्यकता की चर्चा करना पूरी तरह गलत है। हिंसक कांति से सत्ता तो बदलो जा सकती है किन्तु व्यवस्था नहीं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, वे हिंसक क्रांति की बात करके आत्म संतोष किया करते हैं। वर्तमान व्यवस्था को अहिंसक तरीक से बदलने के सभी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। हमें न हड़ताल और चक्का जाम कराने की आवश्यकता हैं न ही शासन के किसी भी अन्य कानून को तोड़ना है। नई प्रस्तावित व्यवस्था का एक प्रारूप बनाकर समाज में एक बहस छिड़नी चाहिये। समाज के अधिसंख्य लोगों को सहमत करें कि इस मध्यप्रदेश, विमलेश सिन्हा तथा रामसेवक गुप्ता (रामानुजगंज, सरगुजा) उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री बजरंगलाल ने आगे कहा कि गॉवों में भष्ट व्यवस्था के शीर्ष प्रतीकों वन रक्षकों, पटवारियों, पुलिस बल व ग्राम सेवकों से ग्रामीणों को नक्सलियों ने निजात दिलाई हैं, इसलिए उनके प्रति ग्राम्य क्षेत्रों में प्रेम बढ़ रहा है।

बैठक में तय किया गया कि नक्सलियों से वार्ता की आधारभूमि तैयार की जाए। वहीं रेलगाड़ियों में सामान्य या अनारक्षित डिब्बों को निर्धन अथवा मध्यम तब की आबादी के अनुपात में बढ़ाने की पहल परवान चढ़ाई जाए। इसके अलावा गॉवों में ग्राम सभा की अनुमति मिलने पर ही नशा उत्पादन व विक्रय आदि किए जाने की व्यवस्था की जाए क्योंकि अपराधो की जड़ नशा भी है। बैठक में प्रस्ताावि पारित किया गया कि शिक्षा सुनिश्चितता के जारी अभियान के साथ रोजगार की भी सुनिश्चितता अनिवार्य की जाए। इस कड़ी में उपस्थित जनों ने रायपुर जिले में महिलाओं द्वारा शराबबंदी हेतु किए गए सफल सामूहिक प्रयास की पूरी प्री सराहना की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपेक्षा की कि अब हरेक ग्राम पंचायत से ऐसी हुँकार उठने लगेगी। इसके अलावा विभिन्न महापुरूषों व स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर स्थापित भवनों का नाम यथावत रहने देने का आग्रह दग की डॉ0 रमन सिंह सरकार स किया गया। साथ ही सर्वोदय विचारधारा से लोगों को बड़ी तादाद में जोड़ने हेतु बड़े पैमाने पर सर्वोदय मित्र बनाने का आव्हान किया गया। सितंबर में आयोजनाधीन

गांधी जन सम्मेलन व 80 वर्षीय वरिष्ठ सर्वोदयी डॉ0 मुकेश कुमार शर्मा के निधन की जानकारी इस मौके पर दी गई। वहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जगह सत्तारूढ़ हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से अपेक्षा की गई कि वह गुलामी की ओर ले जाने वाली अर्थव्यवस्था को खारिज कर गरीब हितैषी नीतिया लागू करेगी।

11 सितंबर को छग सर्वोदय मंडल के चुनाव व 11 सितंबर से 11 अक्टूबर तक हर बार की तरह ग्राम एवं नगर स्वराज्य अभियान छेड़ने की जानकारी भी बैठक में दी गई।

– प्रिं.अ.अज्ञानी

बंग जी के लेख में रामानुजगंज

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सैनानी, अर्थ विज्ञानी व गांधीवादी संस्थाओं के शीर्ष संगठन अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल (सर्व सेवा संघ) के पूव अध्यक्ष प्राध्यापक श्री ठाकुरदास बंग ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में श्री बजरंगलाल अग्रवाल की अध्यक्षता वाली रामानुजगंज नगर पंचायत का महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। उन्होंने कैसे बदले समाज नाम अपने एक महत्वपूर्ण आलेख में लिखा है। –

''आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी को अधूरे काम आगे बढ़ाने हेतु सब संगठनात्मक संघ एकजुट करने का प्रयास किया था। इस संगठन का नाम उन्होंने सर्व सेवा संघ रखा। लोगों की सेवा करने वाला होने से विनोबा जी ने उसके सदस्य का नाम लोक सेवक किया। उसकी वेशभूषा खादी रखी। सबका हितैषी होने से लोक सेवको राजनतिक दलों की सदस्यता वर्जित रखी। सुलभ बनाने वाले विनोबा जी ने बाद में लोक सेवक की खादी एवं दलमुक्ति की शर्ते हटाकर सत्य तथा अहिंसा में आस्था, शोषणमुक्त और शासन निरपेक्ष समाज का ध्येय कायम रखकर सवादय मित्र की अवधारणा प्रस्तुत की। इस हेतु जिसे सर्व सेवा संघ (सर्वोदय मंडल) का ध्येय (सत्य, अहिंसा आधारित समाज रचना, जिसमें मानवीय व लोकतांत्रिक मूल्यों से अनुप्राणित जीवन हो जो शोषण, दमन, अनीति एवं अन्याय से मुक्त हो तथा जिसमें समग्र व्यक्ति विकास के लिए पर्याप्त अवसर हो) मान्य हो और संघ कार्यक्रमो से जिस सहानुभूति हो पांच रूपए सालाना देकर सर्वोदय मित्र बन सकता है।''

''निहित लोक शक्ति को जागृत व सक्रिय लोकशक्ति में बदलने में सर्वोदय मित्र, उत्प्रेरक का कार्य कर सकेगा। लोक शक्ति जगाकर संगठित कार्य करें तो क्या चमत्कार हो सकता है, यह रालेगॉव सिद्धि हिवरा बाजार व काकडदरा आदि गॉवों में और रामानुजगंज नगर पंचायत जैसे अनेक प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है। स्थानीय जनशक्ति व राज्य शक्ति ने मिलकर नक्सलग्रस्त क्षेत्र रामानुजगंज में चोरी डकैती पर अंकुश लगाया है।''

– प्रिं.अ.अज्ञानी

डेढ़ करोड़ रूपये का ''परित्याग''
पानी नहीं सुरक्षा जरूरी रामानुजगंज नगर पंचायत का ऐतिहासिक प्रस्ताव

रामानुजगंज नगर पंचायत ने अपने वाशिंदों हेतु और अधिक उन्नत पेयजल व्यवस्था को दरकिनार कर सुरक्षा प्रबंध को तरजीह दी है। इसके लिए उसने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार स जल प्रबंध के लिए आबंटित डेढ़ करोड़ रूपए की भारी भरकम राशि पुलिस विभाग को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया है।

यह नायाब प्रस्ताव पारित करने वाली रामानुजगंज नगर पंचायत भौगोलिक नजरिये से छग प्रांत के सबसे ऊपरी हिस्से में अवस्थित है। आदिवासी बहुल सरगुजा जिले में आने वाला रामानुजगंज, कन्हर नामक नदी के तट पर बसा है। नदी के इस पार रामानुजगंज या सरगुजा जिला अथवा छग पदेश है तो उस पार से झारखंड शुरू हो जाता है। नक्सलवादी गतिविधियों से सरगर्म इस परिक्षेत्र में हालॉकि रामानजगंज एक तरह से शांति के टापू या आतंक रहित इलाके के रूप में उभरा है परंतु वहॉ की नगर पंचायते अन्य आपराधिक घटनाओं से भी खुद को स्थाई रूप से मुक्त रखने के लिए उपरोक्त अद्भत कदम उठाया है।

इसके तहत् नगर पंचायत अध्यक्ष श्री बजरंगलाल अग्रवाल न एक सर्व सम्मत प्रस्ताव प्रस्तुत कर शासन व अन्य हल्कों को चौका दिया है। उन्होंने नगर के आम व खास नागरिकों की संयुक्त बैठक में साझा राय कायम कराई कि उन्हें सबसे पहले ज़रूरत अपनी सुरक्षा है। इसी आवश्यकता को अहमियत देते हुए नगर के जल प्रबंध हेतु आबंटित डेढ़ करोड़ रूपये रामानुजगंज पुलिस प्रशासन को सापने या शासन से विधिवत अनुमति मॉगी गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि वह अपनी यह राशि स्वयं पुलिस प्रशासन को अपने हाथों से सौंपेंगे। वे चाहेंगे कि इस धन के ब्याज से प्रति वर्ष पुलिस बल व संसाधनों का व्यय बहन किया जाए या एक मुश्त अथवा किश्तों में उक्त राशि व्यय कर सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद किए जाये और रामानुजगंज को अपराध मक्त रखने का ठोस कदम उठाया जाए।

यहॉ उल्लेखनीय है कि रामानुजगंज नगर पंचायत, देश का एक मात्र स्थानीय निकाय है, जिसने अपने परिक्षेत्र में अपराध नियंत्रण का स्वतः अपने हाथ में ले रखा है। इसके तहत् आम नागरिक थाने में रपट करने के पहले नगर पंचायत को विधिवत् सूचना देना ज्यादा जरूरी व अहम् समझने लगे हैं। हालॉकि नगर पंचायत इन प्रकरणों को पुलिस बल से ही निराकृत होने देती ह मगर एक ओर जहॉ वह प्रशासन को इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, वहीं रात्रि गश्त कराकर असामाजिक तत्वों को निगाह में रखती है। यह गश्त हरेक परिवार द्वारा साल में एक बार किए जाने की व्यवस्था है।

बहरहाल नगर पंचायत अध्यक्ष श्री बजरंगलाल के संयोजन में संपन्न आम नागरिकों की साप्ताहिक बैठक में माना गया कि शहर की मौजूदा जल प्रणाली, प्रकिया व पद्धति एवं उपलब्ध संसाधन निकट भविष्य के लिए भी पर्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में जल प्रबंध हेतु आबंटित रकम नगर की सर्वाधिक ज्वलंत व प्राथमिक जरूरत सुरक्षा के लिए हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए और जन आवश्यकता को ध्यान म रखकर यह अभूतपूर्व निर्णय लेने वाली रामानुजगंज नगर पंचायत देश की पहली एवं इकलौती स्थानीय संस्था बन गई है। यद्यपि बैठक में कतिपय लोगों ने मत रखा कि इतनी बड़ी रकम वापस लौटने या ठंड बस्ते में चली जाने अथवा अन्याय गैर जरूरी मद में समायोजित होने की प्रबल आशंक है परंतु उन्होंने भी माना कि आखिरकार उनका भला नही तो नुकसान कदापि नहीं होगा क्योंकि उनको पानी, वह भी पर्याप्त मात्रा में मिल ही रहा है। हाल फिलहाल इस अद्भत निर्णय से उन सरकारी अफसरों

कर्मचारियों व ठेकेदारों को भी करारा निर्णय से उन सरकारी अफसरों कर्मचारियों व ठेकेदारों को भी करारा झटका लगा है जो उपलब्ध होने जा रही बड़ी रकम मे अपना अपना हिस्सा बॉट भी दे रहे थे।

– प्रिं.अ.अज्ञानी

स्नेह भेंट और मलमास मेला में 'ज्ञान तत्व'

नागपुर (महाराष्ट्र) से – श्री रामकिशोर पसीने के संपादकत्व में स्नेह प्रकाशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका स्नेह भेंट में 'ज्ञान तत्व' के बारे में छापकर इच्छकों से कहा गया है कि वे 50 रूपए वार्षिक शुल्क देकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अंबिकापुर (सरगुजा) छत्तीसगढ़ में तीन से पॉच अक्टूबर (रविवार–मंगलवार) तक आयोजित लोक स्वराज्य समागम में भाग लेने के लिए संपर्क करने हेतु अनुरोध प्रकाशित है। वहीं श्री बजरंगलाल अग्रवाल का उपरोक्त आयोजन की पृष्ठभूमि आवश्यकता व दूरगामी महत्ता बतात हुआ आलेख ''लोक स्वराज्य से सुशासन'' छापा गया है इसम आयोजन स्थल अंबिकापुर की वाराणसी (325 किलामीटर), बिलासपुर छग (230 कि0मी0) व गढ़वा रोड़ स्टेशन झारखंड़ (170 कि0मी0) से दूरी का भी वर्णन है।

दूसरी ओर राजगीर (बिहार)में 18 जुलाई से एक माह के लिए आरंभ हुए त्रैमासिक मलमास मेला में अणुव्रत आंदोलन व साइंस फॉर सोसायटी के कद्र पर ज्ञान तत्व पत्रिका भी प्रदर्शित की गई है। मांडी (नालंदा)से विश्व सहयोग मंच संस्थापक श्रो संजय सिंह ने यह जानकारी दी है।

– प्रिं.अ.अज्ञानी

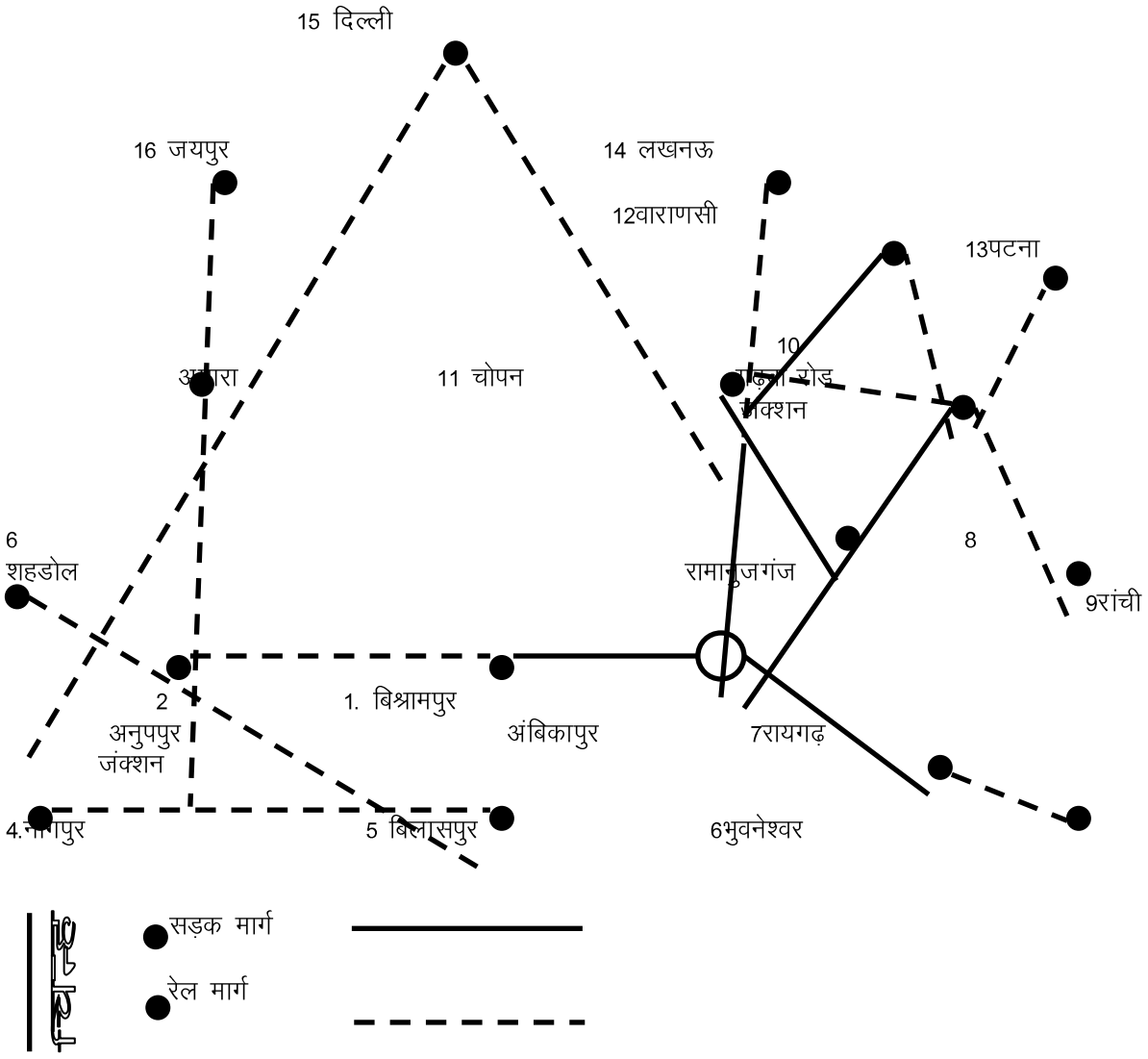

अंबिकापुर से दूरी किलोमीटर में –

0 अंबिकापुर 00 कि0मी0, बिश्रामपुर 25 कि0मी0, 2 अनूपपुर जंक्शन 200 कि0मी0, 05 बिलासपुर 250 कि0मी0, 07 रायगढ़ 200 कि0मी0, 8 रामानुजगंज 110 कि0मी0, 10 गढ़वा रोड जंक्शन 170 कि0मी0, 12 वाराणसी 300 कि0मी0

प्रश्न लोक स्वराज्य समागम

* तीन से पॉच अक्टूबर (रविवार–मंगलवार) : मुख्य आयोजन।
* छः अक्टूबर (बुधवार) : इच्छुकों को हम अपने साधन से रामानुजगंज ले जायेंगे।
* आमंत्रित : आप सभी।
* भोजन व आवास प्रबंध हमारे, आवागमन व्यय आपका।
* लोक स्वराज्य अभियान की भावी दिशा दशा तय करने हेतु लोक स्वराज्य मंच व ज्ञान यज्ञ मंडल का संयुक्त उपक्रम।

टोप – बिश्रामपुर व गढ़वा रोड रेल स्टेशनों पर आपको मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु लोक स्वराज्य साथी रहेंगे।